Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 14-08-2006

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh,Rao Shri K. Chandra Shekhar,Tirath Smt. Krishna,Chandrappan Shri C.K.,Jagadeesan Smt. Subbulakshmi,Tirath Smt. Krishna,Kumar Shri Shailendra,Verma Shri Bhanu Pratap Singh,Jagadeesan Smt. Subbulakshmi,Ramadass Prof. M.,Goyal Shri Surendra Prakash,Rawat Prof. Rasa Singh,Kumar Shri Shailendra,Kharventhan Shri Salarapatty Kuppusamy,Rijiju Shri Kiren

an>

Title : Discussion on the motion for consideration of the Safai Karamcharis Insurance Scheme Bill, 2005 (Bill Withdrawn).

श्रीमती कृणा तीरथ (करोल बाग) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं

> "कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान कोई दुर्घना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने हेतु एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना तथा उससे संबंधित वियों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, सफाई कर्मचारियों का कार्य इस प्रकार का है कि नालों और सीवरों में काम करते समय उनसे जो कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं है, जिससे इन लोगों को शारीरिक समस्याएं होती हैं। इसके अलावा इनके लिए न्यूनतम वेतन के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है।

महोदय, हम लोग अपना काम करने की बजाय सफाई कर्मचारियों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा केवल दिल्ली में ही नहीं है, अपितु यह ट्रेन्ड पूरे देश में है। सफाई कर्मचारियों का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा इस बिल को लाने का मकसद यह है कि सफाई कर्मचारियों की बीमा योजना के द्वारा मदद की जाए और इनका बीमा करवाया जाए। बंद सीवर को खोलने और वौला कूड़ा उठाने के समय सांस के द्वारा जो गैसें इनके अंदर जाती हैं, इससे इन्हें बीमारियां हो जाती हैं और इनके जीवन को खतरा हो जाता है, कभी-कभी तो मौत भी हो जाती है। एक कमाने वाले पर पूरा परिवार निर्भर करता है और यदि उसे कोई बीमारी हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जीवनभर समस्याओं से जूझना पड़ता है।

आज सफाई कमचारी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी और अनओर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं। इस काम में बहुत सी महिलाएं भी लगी हुई हैं, जिन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। महिलाएं अपने घरों में बच्चों को छोड़कर सफाई का काम करने जाती हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है, केवल कुछ रूपये देकर उनसे काम करवाया जाता है अथवा रोटी मात्र पर ही ये लोगों के घरों में काम करती हैं ।ऐसा लगता है कि ऐसा जीवन इस समय में, जब भारत ने इतनी तरक्की की हो, वैज्ञानिक तरक्की की हो, उसमें हमारे सफाई कर्मचारी भाईयों की जो दयनीय हालत है, उसको देखते हुए मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि इनके लिए जीवन बीमा योजना तैयार की जाये। जीवन बीमा निगम और बीमा कम्पनियां केवल उन्हीं सफाई कर्मचारियों का बीमा करते हैं, जो सरकारी और अर्धसरकारी संगठनों में काम करते हैं और जो अधिक प्रीमियम दे सकते हैं। किन्तु अधिकांश सफाई कर्मचारी अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में दिहाड़ी पर काम करते हैं, जहां उनका कोई लेखा-जोखा नहीं है, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है और उसके ऊपर ही वे अपना पूरा जीवन काटते हैं। ऐसे सफाई कर्मचारी, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए विशेा रूप से व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना तुरन्त बनाये जाने की आवश्यकता है। इस बीमा योजना में उन्हें सामाजिक, आर्थिक संरक्षण प्रदान करने हेतु बहुत सहायता मिलेगी।

मैं उन महिलाओं से भी कन्सर्न करती हूं, जो महिलाएं इस काम को करती हैं और जिस तरह का काम वे करती हैं, उससे वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाती हैं। इससे उनको बहुत सारी बीमारियां घेरती हैं और घेरने के साथ उनके बच्चों को इन्फैक्शन होता

है और केवल एक को ही नहीं, बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी बच्चे हैं, उनमें भी वह इन्फैक्शन जाता है। उनकी कोई देखभाल नहीं होती, न उनके पास पैसा होता है कि वे इसका प्रोपरली इलाज करा सकें। उन बच्चों का आगे जो जीवन है, उसमें न वे शारीरिक रूप से ठीक हो सकते हैं और जब शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं तो पढ़-लिख भी नहीं सकते हैं और इससे उनका जीवन बहुत दयनीय हो जाता है।

मेरी जीवन बीमा के साथ एक और मांग है कि इनको फ्री मैडीकल एड दी जाये, जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में सफाई कर्मचारी काम करते हैं, मेरा दबाव उन पर है। उनके लिए फ्री मैडीकल एड होनी चाहिए, डिस्पेंसरीज़ होनी चाहिए, इनका बाकायदा एक सर्वे हो, जिसमें इनके लिए तय किया जाये कि इतने लोग इसमें काम करते हैं, उनके कार्ड बनें, उनको दवाइयां दी जायें, इनका मैडीकल टैस्ट किया जाये और अगर कहीं उनके अन्दर कमियां हैं तो उनको दूर करने के लिए यह काम किया जाये।

इसमें और बहुत सारी चीजें हैं कि जो लोग कूड़ा इकट्ठा करके ट्रकों में ले जाते हैं, उनके अन्दर भी वही सफाई कर्मचारी, चाहे वे बड़े गार्बेज स्टोर से निकलें, चाहे दूसरे जो स्लाटर हाउस हैं, वहां से निकलें, उनके अन्दर भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, इतने ज्यादा उनके अन्दर जर्म्स और कीटाणु होते हैं, जो इनके अन्दर घर कर जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी जो बीमा योजनाएं हैं, सरकार ऐसी बीमा योजनाएं बनाये, जिसमें इन बीमा योजनाओं के तहत इनका बीमा अनिवार्य किया जाये और जिससे अपना जीवन ये ठीक से चला सकें। इनको अगर कहीं तकलीफ होती है या इससे इनकी मृत्यु होती है तो ये बीमा योजनाएं उनके घर परिवार चलाने के लिए लाभ पहुंचा सकें।

इसमें एक फाइनेंशियल मैमोरेण्डम भी है, मैं चाहती हैं कि इसमें कम से कम 100 करोड़ रुपया रखा जाये, A non-recurring expenditure of about Rs. 100 crore is also likely to be involved in that. तभी हम इनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं और इस तरह से हम इनको मुख्य धारा में ला सकते हैं। हमारी अनुसूचित जाति में और बहुत सारे दलित समाज हैं, लेकिन जो काम इनका है, वह काम बहुत ही जरूरी भी है और करने के साथ जो इनके हालात हैं, उनमें सुधार लाने के लिए ये काम किये जायें, बीमा योजनाएं तैयार की जायें और बीमा योजनाओं के अन्तर्गत इनको रखा जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं केन्द्रीय सरकार से, मंत्री जी कहना चाहूंगी कि जो बीमार योजनाएं इनके लिए अनिवार्य की जायें और इनके लिए जो पैसा है, जो 100 करोड़ रुपया रखा जाये और इनका जीवन-स्तर ऊपर उठाया जाये।

MR. CHAIRMAN : Motion move:

> "That the Bill to provide for comprehensive and compulsory insurance of Safai Karamcharis against any mishap connected with their work to give them economic protection, safeguard their interests and for matters connected therewith, be taken into consideration. "

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, मैं श्रीमती कृणा तीरथ, माननीय संसद सदस्या द्वारा प्रस्तुत सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं।

मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि माननीया कृणा तीरथ जी ने समाज के सबसे कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनको आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के लिए और उनका भावी जीवन सुखमय बनाने के लिए बीमा योजना के विधेयक को सदन के अन्दर लाई हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्योंकि समाज का सबसे अधिक कमजोर और उपेक्षित यदि कोई वर्ग है, तो वह सफाई कर्मचारी वर्ग है। पिछली सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग भी बनाया। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें आदि बढ़ोत्तरी और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए और साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा परंपरागत गंदगी उठाने की विधियों को बंद करके, फ्लैश आदि आधुनिकतम पद्धतियां अपनाने तथा कई प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए आयोग लाया गया। लेकिन फिर भी आज जो सफाई करने वाला वर्ग है, चाहे वह कस्बे में हो, नगर में हो, महानगर में हो, म्युनिसिपलिटी में हो, कारपोरेशन में हो, कैंटोनमेंट में हो या ग्रामीण पंचायत में हो या अन्य कहीं हो, सफाई करने वाले लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। जब सफाई कर्मचारी खुद दयनीय और सोचनीय स्थिति में रहता है, तो निश्चित रूप से उसके परिवार की स्थिति भी दयनीय होगी। मैं कहना चाहूंगा, "Cleanliness is next only to Godliness." परमात्मा की भक्ति के बाद सफाई का नंबर आता है। अगर आज बड़े-बड़े नगरों में आज सफाई कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। हमारे समाज की व्यवस्था जन्मगत व्यवस्था हो गयी और उसके आधार पर समाज विशेा का जो ऐसा तबका था वह उपेक्षा और अशिक्षा आदि के कारण इस काम काम को करने लगा और इस कारण धीरे-धीरे उसकी शिक्षा और उन्नति बंद हो गयी और सब प्रकार से उनको दुर्बल वर्ग के अंदर परिगणित किया जाने लगा। अनुसूचित जातियों में भी सबसे अधिक कोई कमजोर है, तो सांसद महोदया का कहना बिल्कुल उचित है कि सबसे अधिक दलित या शोाित या दमित या पीड़ित यदि कोई वर्ग है, तो मैं समझता हूं कि सफाई कर्मचारी हैं। चाहे वार्ा हो रही हो, सर्दी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो या कहीं पर नालियों या नालों का पानी अवरूद्ध हो जाता है, तो सीवर के अंदर प्रवेश करके वे इस काम को करते हैं, हम कई बार बाजारों में आते-जाते इस चीज को देखते हैं। मोहल्ले में भी कहीं कूड़ा या गंदगी का ढेर लग गया अथवा नालियों का पानी प्लास्टिक की थैलियों के कारण रूक जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नाले का पानी अवरूद्ध होकर, सड़कों के ऊपर बहने लगता है और जनता इकट्ठी हो जाती है कि सफाई नहीं हो रही है। नगर परिद या नगर निगमों के खिलाफ आवाज वह उठाती है, लेकिन नगर निगम या नगर परिद या नगर पालिका जिन सफाई कर्मचारियों को आदेश देती है, उनका जीवन कितना दयनीय होता है, कैसे दुर्गंधपूर्ण वातावरण के अंदर और सीवरों के अंदर उनको प्रवेश करना पड़ता है और उनके पास कोई विशेा उपकरण भी नहीं होते हैं, जिससे वे भली प्रकार से सांस ले सकें। मरे हुए जानवरों को हटाने या उठाने का उनको काम करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितयां होती है, जिसके कारण लोग नाक-मुंह सिकोड़ने लगते हैं, उन परिस्थितियों में सफाई कर्मचारी को काम करना पड़ता है और वह जोखिम उठाता है। रिस्क उठाने वाले का हर जगह रिस्क कवर होती है, तो सफाई करने वाला भी समाज का एक महत्वपूर्ण तबका है, उसका जीवन जोखिम से भरा हुआ, उसे जोखिम भरे काम करने पड़ते हैं और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में उसे काम करने को मजबूर होना पड़ता है और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसे स्थिति पैदा हो जाती है कि वे गंदी गैसों के कारण बेहोश हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि उनके जोखिम को कवर किया जाए, इसलिए मैडम द्वारा जो यह बिल लाया गया है कि उनका बीमा अवश्य किया जाना चाहिए, ताकि उनका रिस्क कवर हो सके। बीमे की प्रीमियम की जो राशि है, मैं समझता हूं कि सफाई कर्मचारी को तनख्वाहें इतनी कम मिलती हैं, शायद ही वह इसे दे सकें या गांवों में जो रोटी के बदले काम करने वाले सफाई कर्मचारी हों या असंगठित क्षेत्रों में करने वाले हों, वे इसे नहीं दे सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि नगर पालिका नगर निगम, म्युनिसिपलिटी कुछ प्रीमियम का हिस्सा दें। यह सबसे कमजोर तबका है, जो सफाई कर्मचारी आयोग बना है, उसकी तरफ से भी कुछ हिस्सा हो, सरकार कुछ सब्सिडी प्रदान करें और इंडीविजुअल उनकी तनख्वाहों से जो कुछ भी वे दे सकते हों, उनका हिस्सा वे दे दें और सरकार इनका बीमा करें। जैसे जीवन बीमा निगम है जिसके तहत लोगों के रिस्क कवर होते हैं। इसमें मोटर गाडियों के ड्राइवर्स, कंडेक्टरों तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का रिस्क कवर होता हैं। इसी तरह सफाई कर्मचारियों का भी रिस्क कवर होना चाहिए। इसलिए उनको जीवन बीमा दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी मैडम ने कहा कि सबसे अधिक असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए उनको जीवन बीमा के अन्तर्गत लाया जाये। उनको सामाजिक और आर्थिक संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। जो लोग अपना प्रीमियम नहीं दे सकते, सरकार की तरफ से उनका प्रीमियम जमा करने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे लोग भी धीरे-धीरे ऊपर उठ सकें। मैडम कृणा तीरथ ने मेडिकल ऐड की जो बात कही है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। असंगठित क्षेत्र में काम वाले लोग हैं, जो अस्वास्थ्यकर स्थितियों में काम करते हुए बीमार पड़ जाते हैं या असाध्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिनका इलाज कराने

के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से फ्री मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। जिस तरह बीपीएल कार्ड होल्डर्स या दूसरे लोगों को यह सुविधा मिलती है उसी तरह इनको भी वह सुविधा मिलनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ-साथ बिल की भूमिका में जो लिखा है, उसकी दो लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगा कि कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होने पर उनको आर्थिक संरक्षण प्रदान करना चाहिए। उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वह व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना का बिल प्रस्तुत करे। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए और सरकार को प्रेरित करने के लिए माननीय संसद सदस्या जो बिल लेकर आयी हैं, मैं पुनः एक बार फिर उनको धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, Sir I whole-heartedly support the Bill that has been brought by Shrimati Krishna Tirath. In fact, this kind of discussion, in this august House, will create confidence in the entire sector of the Safai Karamcharis spread over the entire country. At least, they will realise that this Parliament is discussing about their conditions and they have got sympathy and support for them. Basically, this is very important in that direction.

I am thinking all the time that the work culture in this country needs to be changed. Unfortunately, because the social respect is not there for doing such works, people are prepared to do white-collared jobs and not going to the field. They do not want to spoil their clothes. They do not want to touch mud or they do not want to touch any material, straining themselves, sweat themselves and they want to do white-collared job only, without getting themselves strained. If you want a paper to be transferred from one table to another table, they are ready to work. That means, people are prepared to work as an attendant but not as a worker anywhere. When this was the work culture in this country, obviously, we can imagine what is the condition of the Safai Karamcharis which will be much worse. So, naturally, as she has proposed, I am also of the opinion that they must be given all support from the Government – security, support and basic needs. Now, we have been seeing, time and again, in every State politicians, bureaucrats, officers, judges and journalists are being given houses costing crores of rupees. But we do not look to them. If they have to get two cents or 50 square yards of land not in the heart of the city, but at a remote place, even that, they are not getting on many occasions. They have to go round the politicians and officers time and again, beg them and do everything possible. Still, they are not sure of getting it. So, we must change this policy itself. Before we cater to the people who are well placed, we must serve their needs first and then look to the other sections of the society. They should not ask for the basic needs like food, shelter, housing etc. We must provide them all these things. Even in the case of housing, the Government must think that it is their responsibility. Sometimes, it can be made as mandatory. All those people who are engaged in, so and so profession, will be given these minimum facilities of education, health care, housing and then subsidisedfood. Even cheap and subsidised transport must be provided to such people. If these facilities are provided, then people will start working in all those areas. Otherwise, you will find a day when nobody will work. Nowadays, everybody wants to give orders to somebody else to do some work. This is the pathetic condition of this country today. That is why, we are not able to generate wealth.

Why have the other countries come up? Once, I visited Israel. I saw a farmer was working in the field. I also saw that his entire clothes were dirty, not to be seen at all. He was physically working himself

in the field. I thought that he must be a worker working in the field on behalf of the farm owner. After completing the work, I saw him in the Dinner. He came with full suit. I could not recognise him. Later on, I understood that he was both the owner and worker. So, that is the type of culture that we need to introduce and support in this country also. But that culture is not available as on today. The society itself is looking down upon such workers. If I say that I am working in an Airlines, I am respected. Suppose somebody says she is an Air Hostess in an Airlines. Of course, she is good looking but the job she does is only serving. But if the same serving is done in a roadside hotel, she is disrespected. That means, some jobs are being looked down upon. The people who are engaged in that profession are being looked down upon socially. That also has to be eliminated. We should bring forward some regulation or act to punish those people who look down upon such workers doing such jobs. That would generate confidence. Irrespective of the nature of work that I do, I must have respect in my society. It is not because of the profession that I am engaged in that I receive respect. It is not because that my clothes are soiled that I am not respected. I must be respected as a human being and that feeling must go round in the country.

As has been suggested by Shrimati Krishna Tirath, I wholeheartedly support this Bill to provide for free health insurance to such workers. At the same time, they must be provided education, housing etc. It is not a formal education that I suggest. I also feel that separate classes must be conducted to them to infuse confidence and to dispel the inferiority complex from their minds. Such workers are no where comparing the other citizens in this country. Maybe, somebody is getting crores of rupees. There can be disparity in economics. But it cannot be the reason for showing disrespect to other professions. So, that feeling has to be eliminated. I feel some separate classes should be conducted for them exclusively.

Similarly, a fund must be raised for such workers. Suppose a boy in a worker's family is interested in education or something else. In such a situation, the Government must come to the rescue and provide financial help that is required without their begging. If these things are done, then, there will be respect for human beings.

Now I come to the condition in which they are working. It is very unhygienic. They are prone to ill-health. So, the conditions are also to be improved. Or, the instruments that are provided to them must be such that they are not subjected to the unhygienic conditions. Therefore, that aspect also has to be taken care of.

Though we discuss about the Safai Karamcharis yet there are many other areas. Till the other day, in my State – I do not know about the other States – if a girl were to go for a nursing course, people used to think it is taboo, it is a profession less in importance. But I am happy to say that today there is respect for the nursing profession. There is so much demand for the nursing community. Even doctors are not getting that much pay in the United States of America. They are not having that much demand. Hundreds of thousands of nurses are in demand even in the western countries. Similarly, people who are working in other areas also must be protected in the same manner. I do not want to take much time. While supporting her to bringing forward this Bill to provide healthcare, I feel many more things like shelter, provision of subsidised food, education etc. are necessary. Basically, they must be provided these facilities first rather than the other sections of the society.

With these words, I congratulate Shrimati Krishna Tirath for bringing forward this Bill and creating confidence in the minds of the entire people who are engaged in this profession.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति जी, सफाई कर्मचारी बीमा अधिनियम-2005 बहन कृणा तीरथ जी ने जो यहां प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह बात सत्य है कि सफाई कर्मचारी ज्यादातर अनुसूचित जाति और दलित वर्ग के लोग हैं और इन्हें सामाजिक कुरीतियों से भी गुजरना पड़ता है। अफसोस की बात है कि आजादी के 59 साल बाद भी गांव में हैंड-पम्प पर समानता के आधार पर इनको पानी नहीं मिलता है। जब सब लोग पानी भर लेते हैं तब उसको पानी भरने दिया जाता है। माननीया मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, ऐसी कुरीतियों के कारण उन्हें गांव में बहुत कट भोगना पड़ता है। इसलिए इंडिया-मार्का हैंड-पम्प इनके घरों में लगाए जाएं। वह बाल्टी लिये घंटों खड़ा रहता है, उसे सबसे बाद में पानी भरने के लिए विवश होना पड़ता है। अगर किसी की बाल्टी से वह छू जाता है तो कभी-कभी उसे मार भी खानी पड़ती है। अगर वह सुबह-सवेरे पांच बजे उठता है तो उसे पानी मिलता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि गांव में अगर जानवर मर जाता है तो उसे उठाने का कार्य भी वही करता है। घृणित से घृणित कार्य जिसको बाकी तबके के लोग करना पसंद नहीं करते हैं उसे करना पड़ता है। जिस कार्य को बाकी तबके के लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, उसे वह कार्य करना पड़ता है और समाज की मुख्य धारा से अपने को अलग-थलग महसूस करता है। चाहे मैडीकल सुि वधा की बात हो, चाहे उसके बच्चों की पढ़ाई की बात हो या उनके घरों में पेयजल की व्यवस्था करने की बात हो, सरकार को प्राथमिकता के आधार पर, ये कार्य उनके लिए करने चाहिए। मौत और जोखिम भरे सारे कार्य ये लोग करते हैं। अभी दो-तीन घटनाएं भी हुई हैं। चाहे वह नगरपालिका में कार्य करता है या प्राइवेट काम करता है, जब सीवर या कुएं में जाकर सफाई करने की बात आती है तो यही लोग सी वर में या कुएं में जाकर सफाई करते हैं और इस दौरान, गैस के कारण, कई लोगों की मौत हो चुकी है। गैस से सुरक्षा के लिए नाक में मास्क जो लगाया जाता है, उसकी सुविधा भी उन्हें नहीं मिलती है और वे बेचारे नाक पर कपड़ा बांधकर कार्य करते हैं। सरकार को चाहिए कि उन्हें उनके कार्य में आने वाली सारी सुविधाएं मुहैया कराए और हर तरह की मैडीकल सुविधा भी उन्हें मिले, ताकि उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े।

अक्सर ऐसा होता है कि औरत और मर्द तो सफाई के कार्य पर चले जाते हैं और उनके बच्चे घर में रह जाते हैं। बच्चों के लिए मैडीकल और पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं होती है। आप दिल्ली की बात मत सोचिये, अन्य राज्यों में देखिये, स्लम-बस्तियों में जाकर देखिये। आप देखेंगे कि उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है और वे टीवी रोग से ग्रसित दिखाई देते हैं, एनीमिया के पेशेंट लगते हैं। सरकारी या गैर-सरकारी जो भी सफाई-कर्मचारी हैं उन्हें चतुर्थ-श्रेणी का कर्मचारी घोति किया जाए और उन्हें उनके बराबर ही वेतन दिया जाए। कुछ कर्मचारी अस्थाई रुप से कंटैक्ट-बेस पर नगरपालिका में सफाई कर्मचारी लग जाते हैं जिन्हें केवल मानदेय दिया जाता है उन्हें भी स्थाई किया जाना चाहिए। हमारे सब के अंदर यह भावना है कि अगर कहीं गंदगी है तो हम वहां नहीं बैठते हैं और ये सफाई कर्मचारी ही हैं जो उस जगह को साफ करते हैं। इनके लिए हर तरह की सुविधा सरकार को देनी SÉÉÉÊcA[h29]।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने देखा है कि सफाई कर्मचारी आयोग बना है। आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सरकार की तरफ से जिले में जाते हैं, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वह हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। लेकिन जब वे जिलों में सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए मीटिंग बुलाते हैं तो वे डीएम या बड़े अधिकारी कभी नहीं जाते या इस विभाग से जुड़े हुए ि वभागाध्यक्ष हैं, वे जिलों में नहीं जाते हैं और छोटे अधिकारियों को या कर्मचारियों को भेज देते हैं। वे बातचीत करके चले आते हैं, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। तो यह आयोग बनाने का क्या मतलब है? निर्वाचन आयोग को जैसे शक्तियां प्राप्त हैं, उसी तरह से इस आयोग को भी शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। आपने संवैधानिक आयोग बना दिया, लेकिन उसी तरह के अधिकार भी इस आयोग के पास होने चाहिए। अगर मीटिंग बुलाएं तो उसमें संबंधित विभागाध्यक्ष का जाना जरूरी हो। एक आयोग की तरह ही सम्मान होना चाहिए, वह सम्मान नहीं मिल पाता, इससे ही लोगों की मानसिकता प्रदर्शित हो जाती है। श्रीमती कृणा तीरथ जो बिल ले कर आई हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि आवास, पेयजल की सुविधा और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि की सुविधाएं सरकार को मुहैया करानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I am extremely happy that the problem of Safai Karamcharis is discussed by this august House and I thank our colleague, Shrimati Krishna Tirath, for introducing this Bill.

It is one of the most downtrodden sections of our society but is perhaps doing a job which many others would not like to do. I remember, it was perhaps Mahatma Gandhi who said that this job also is a respectable job because without that if you do not clean your surroundings you would be living in filth and dirt. So, he even suggested that everybody should clean his toilets and all that. That was to give a kind of respectability to this job.

Now, even after such a long time, we are reaching 60 years of our Independence, we still have a Safai Karamachari who is still recognised by the society as somewhat untouchable. In this situation, how social respectability should be given to them is one thing, their economic emancipation and also they get certain benefits by the society are also very important. This Bill envisages that.

Now, they are one of the most unorganised sections in our society. They do not have powerful trade unions to protect their cause. To that extent they are unorganised and unprotected. If the Government takes some initiatives so that minimum protection to their life and respectability to that job is added, that would go a long way in giving them confidence.

Sir, their life insurance, other insurance and some facilities to educate their children, etc. are to be provided. The abuses against them also should not be there because they are treated almost like slaves by the society. So, when the Government thinks of bringing in a legislation, there should be a comprehensive legislation by which this section of the society is given social respectability, economic emancipation as well as insurance protection, medical care and

education care and all that. I hope the Government will take these opinions of this House and bring forward a legislation to protect the Safai Karamcharis.

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Thank you for giving me an opportunity to speak on a very important but unfortunate section of the Indian society, namely the Safai Karamcharis. I am indeed happy

to appreciate the concern of Madam Krishna Tirath in this section of the society which has not been taken care of either by the State Governments or by the Central Government or by voluntary organisations.

Safai Karamcharis perform a large number of menial jobs. Where other people are afraid of taking up these jobs, these people take them up willingly and they do them with a greater amount of risk, hazard and unpleasantness. The earlier speaker described how they work in the field. They undertake sewerage work; they take up sweeping work; they take up washing work, cleaning work and all kinds of works which any decent person in the society can take up. Look at the social composition of the people who are involved in these dirty and filthy works. They are all mostly from Scheduled Caste communities, most backward communities and they are almost treated as unapproachable and untouchable by others in the community.

Shri Chandrappan said that Mahatma Gandhi was worried about it. More than Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar was the first person who asked for social and well as economic emancipation of these people. Socially they are working as an outcaste by the upper caste people and other community people. Therefore, social disrespect is not there. If you look at their economic conditions, most of them are working in the unorganised sector and they are subjecting themselves to all kinds of exploitation. To put it in the economic language, I would say that the productivity of these workers is greater than the wages they get. In many of the occupations in which they work, they are working like seasonal workers; they are working in an underemployed capacity or in most cases they are unemployed also. In a month, they work for five days or ten days and they are terminated. There is no security at all. There is no social security or economic security for these people and corresponding to their productivity, corresponding to the master for whom they work, their wages are abysmaly low. They create a surplus in the society which is being exploited. This is what Karl Marx said that most of the proletariat, the working sections, working segments of the society, are being exploited by creating a surplus value. Surplus value goes to enhance the welfare of somebody else who is not willing to do such tasks. Therefore, economically they are getting a pittance for the productive work which they do. Therefore, their economic exploitation; their pay is not corresponding to their productivity, and they are not respected socially. Therefore, we have to look at this problem in a holistic manner.

Madam said that we should bring a comprehensive and compulsory insurance scheme. Maybe that is one of the ways by which we can protect these people. But, what we will have to think is a whole package of methods that should go as an integral part of our policy to protect the unorganised workers. Even today, the country is not ready with a comprehensive legislation to protect the interest of the unorganised workers. This Government has given a social bent to policies. As far as I am concerned, today this UPA Government alone has given a social direction, a social bent to the development of the people. Although we are concentrating on economic issues, we have brought National Rural Employment Programme; we have brought National Rural Health Mission. All these are directed towards social betterment of the people. Social betterment of the people cannot come or will not come if this unfortunate section of the society which is numerically strong, is brought under the fold of social legislation of the Government. Therefore, Sir, the UPA Government should think of contemplating a kind of a comprehensive economic package as well as a social package so that their conditions can be ameliorated. [r30]

16.00 hrs.

One such measure is the Insurance Scheme, and this Insurance Scheme has to be evolved for these people because they need our sympathy, our support and patronage. This Parliament should send a message to these people that the parliamentarians of India are here to speak for them. It was not Dr. Ambedkar, it was not only Mahatma Gandhi but also the present parliamentarians are equally concerned about them and we would bring the Insurance Scheme.

When you go for the Insurance Scheme, you have to think of premium. Who will pay the premium? These people are getting only Rs. 10/- or Rs. 15/- per day, which is not even sufficient to meet both ends. They are not able to get three meals a day. They do not get any basic amenities of life. They are a secluded lot and unapproachable lot. Therefore, to expect these people to pay premium for the Insurance Scheme would be too high a task. I would feel that the Government, maybe the Ministry of Social Justice and Empowerment must pay their premium. Before that, the Government must undertake a nationwide survey of Safai Karamcharis. If I ask the Ministers here what is the number of people who are involved in this occupation, perhaps they may not be ready with an answer. Therefore, what we should do is that we should undertake a comprehensive survey of these people to know their socio-economic conditions. We have conducted a survey in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and we have now enough data on how they move horizontally and how they move vertically but we do not have such a data as far as the economic and social conditions of Safai Karmacharis are concerned. Therefore, the first priority in any scientific analysis of their economic condition and improvement of the condition of the people is to undertake an on the spot study, a situation analysis of these people, which can come only through a comprehensive enquiry, a comprehensive survey, and that has to be done. We must analyze the situation and then think of the ways and means of it. Therefore, I would request the Ministry of Social Justice and Empowerment to take up the survey, assess their situation and take remedial measures.

With regard to the premium, Sir, I would feel that the entire premium must be paid by the Government agencies including the Ministry. I would also think that the Government should constitute a National Board for Safai Karamcharis. At the State level we are creating *variams*. We create *nalavariams*for agricultural labourers, industrial labourers and other people. These people are, as it has been said, the most disorganized set of people. They do not have a bargaining power. They do not have union strength. Therefore, it is for us and it is for the Government to organize them in the form of a National Board for Safai Karamcharis, which can take up their welfare measures and economic measures. Therefore, insurance is a necessary condition for them but that is not a sufficient condition. The sufficient condition is that we must take up a plethora of measures on their economic improvement, educational improvement, health improvement and overall improvement of housing, surroundings and situations in which they live.

Therefore, I am happy to associate with this Bill moved by Shrimati Krishna Tirath but at the same time, I would like to expand this Bill so that we can bring a comprehensive legislation to protect their interest economically and socially.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या, श्रीमती कृणा तीरथ जो सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2005 सदन में लाई हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सफाई कर्मचारियों की आज जो स्थिति है और वे जो कार्य करते हैं, हम लोग उस कार्य को नहीं कर सकते। सिर्फ देखकर ही हम लोग उस कार्य से घृणा करते हैं और वे लोग उस कार्य को करते हैं। माननीय सदस्या ने उनकी चिंता की है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

इस बिल में हमने सफाई कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की बात कही है, जिसमें उनके लिए बीमा, शिक्षा और रहने के घर के बारे में कहा गया है। लेकिन आज उनकी बीमा की जो स्थिति है, उस बारे में मेरा कहना है कि जो सरकारी नौकर हैं, उन्हें तो बीमा मिल जायेगा । जो नगर पालिकाओं के कर्मचारी हैं, उनको तो बीमा मिल जाएगा लेकिन जो प्राइवेट फैक्टरियों में सफाई कर्मचारी मजदूर वर्ग के रूप में काम करते हैं, उन्हें यह बीमा योजना कैसे प्राप्त होगी, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है, इस बात को भी इसमें जोड़ने का कट किया जाए क्योंकि जो सफाई कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में ठेकेदारों के अंडर काम करते हैं और ठेकेदार उन्हें मंथली के हिसाब से पैसा देते हैं, अगर एक साल के लिए वे ठेकेदार उनसे काम लेते हैं तो मेरा कहना यह है कि जिस कंपनी में सफाई कर्मचारी एक साल के लिए काम करते हैं, निश्चित रूप से उस ठेकेदार को पहले एक साल के लिए बीमे में पैसा जमा करना चाहिए जिससे बीच में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके परिवार वालों को बीमा योजना का पैसा प्राप्त हो सके और उसका परिवार अपना जीवन-यापन भली प्रकार से कर सके। हम लोग नगर पालिका में मैम्बर भी रहे हैं और हम देखते हैं कि जो विभाग के कर्मचारी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह बनाते हैं, वे जानबूझकर उनकी तनख्वाह महीने की तीस तारीख को नहीं बनाते, बल्कि दस तारीख तक उनकी तनख्वाह बनाते हैं। अब ये दस दिन उसका परिवार और वह खुद बड़े ही कट में निकालता है और ये दस दिन उसके परिवार का भरण-पोाण न होने की वजह से नगर पालिका के कर्मचारियों से दस प्रतिशत के कमीशन पर वे पैसा लेते थे और पैसा लेने के बाद जब तनख्वाह मिली तो मंथली के हिसाब से, जैसे एक हजार रुपया ले लिया है तो सौ रुपया कटना ही है और कर्मचारी इतना कमजोर होता जाता है क्योंकि समय पर उसे तनख्वाह नहीं मिलती है और जो पैसा मिलता है, वह दस प्रतिशत पर चूंकि उसने पैसा लिया है, तब उन्हें जो पैसा मिलेगा, उस परिस्थिति में दस प्रतिशत निकाल देंगे तब बाकी पैसे में वह अपने परिवार का पालन कर सकेगा।

मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आया हूं। 1996 के बाद उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह जी दोबारा मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने एक नियम बना दिया क्योंकि वे जानते थे कि नगर पालिका का कोई आय का स्रोत ही नहीं है तो वे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह कहां से देंगे ? इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश की आय है, उसका ग्यारह प्रतिशत स्थानीय निकाय के खर्च के रूप में रख दिया, यानी उस ग्यारह प्रतिशत में से सात प्रतिशत नगर पालिकाओं के लिए और चार प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लिए कर दिया। नगर पालिका के सात प्रतिशत में से भी पचास प्रतिशत निर्माण पर खर्च किया जाएगा और पचास प्रतिशत कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए दिया जाएगा जिससे कर्मचारियों को समय से तनख्वाह मिल सकेगी क्योंकि तनख्वाह न मिलने की वजह से वे बिचारे भूखे-प्यासे झाड़ू लिये नगर पालिका के गेट के सामने बैठे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कार्य किया है। अन्य सरकारों की तो मुझे जानकारी नहीं है कि वहां क्या लागू है और वहां नगर पालिका के पास अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए उनका आय का क्या स्रोत है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा स्रोत नहीं है तो हम मांग करेंगे कि प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से नगर पालिकाओं को एक ऐसा आय का स्रोत दे जिससे कर्मचारियों को समय से पैसा मिल सके।

जैसा हम देखते हैं कि इन सफाई कर्मचारियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं है। ये लोग नगर पालिकाओं में या कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो ये सुबह चार बजे अपने घर से निकलते हैं और बराबर सफाई का काम करते हैं लेकिन न वे अपने बच्चों की देखभाल कर पाते हैं। इसलिए इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए और उनके बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए जिससे वे अपना जीवन-स्तर ऊंचा उठा सकें। शिक्षा के साथ-साथ इन्हें मेडिकल सुविधा भी दी जाए क्योंकि जब वे अस्पतालों में जाते हैं तो दूर खड़े रहते हैं, डॉक्टर इन्हें नहीं देखता है। ये सारी कुरीतियां आज भी हमारे समाज में फैली हुई हैं। मेरा कहना है कि इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए कि यदि कोई डॉक्टर इन्हें देखने से मना करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।

उन लोगों को पेयजल की सुविधा दी जानी चाहिये। हम देखते हैं कि वे लोग पानी भरने के लिये 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पानी भर रहा है तो उन्हें कोई भरने नहीं देता है। उन लोगों के दरवाजे पर ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिये ताकि वे अपने हैंड पम्प से पानी पीने के लिये भर सकें और कम से कम उस समुदाय के लोग जब चाहें पानी भर सकें, पीने के लिये भर सकें, नहा-धो सकें।

सभापति महोदय, अभी कहा गया कि पिछली सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया था। हम देखते हैं कि जब भी सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष जाता है तो जिलाधिकारी या अन्य अधिकारी उन के साथ ठीक से पेश नहीं आते हैं जैसा अन्य आयोग के अध्यक्षों के साथ आते हैं। मेरी मांग है कि जब कभी इसके अध्यक्ष कहीं चले जायें, अगर जिलाधिकारी नहीं पहुंचे तो कम से कम जो ई.ओ. हैं, या उसके समकक्ष योग्य शासक हैं, कर्मचारियों के लीडर्स हैं, वे लोग मीटिंग में जायें। उन लोगों की समस्याओं को सुनें और उनकी जो परेशानियां हों, उनके समाधान के लिये चर्चा करें ताकि समस्या दूर हो सकें।

सभापति महोदय, श्रीमती कृणा तीरथ द्वारा जो गैर-सरकारी विधेयक सफाई कर्मचारियों के लिये लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): First of all, I want to congratulate and thank our hon. Member of Parliament, Shrimati Krishna Tirath as she has come forward to bring this Bill, Safai Karamcharis Insurance Scheme Bill, 2005. It is about a neglected community, the neglected labourers, residing in the urban and village areas. Now, we are discussing the future of the Safai Karamcharisas to in which way we are going to help them.

The word 'Safai' means, those who are involved in cleaning. They are not only cleaning the streets, not only cleaning the public places but they are also engaged in cleaning the individual's houses. They are engaged in cleaning all the houses. Not only males are engaged, but, if you go to the villages or to the municipal areas or to the Panchayats, females are also involved in this job. Children, below the age of even 10 years, are also involved in this job. They are cleaning the houses. They all participate in cleaning. But either under the State Government or under the Central Government, if we are doing anything for their welfare, this is the time to think.

Our UPA Government and our hon. Prime Minister, Mr. Manmohan Singh under the guidance of Madam Sonia Gandhi, for the past two years, have introduced so many schemes for the welfare of the OBCs, SCs and STs. Our hon. Ministers, those who are in the Ministry of Social Justice and Empowerment, are also concentrating on the upliftment of the poor and downtrodden.

Actually, by providing insurance to the Safai Karamcharis, can we help them? For example, if a person is working in the municipal areas, he is going to clean the trenches. The trenches may not be cleaned for a number of months. Without taking drinks, he cannot work. Everyday, he is engaged in the job of cleaning the trenches. In some cases, due to formation of gases inside the trenches, they all die. We can see reports in the newspapers that four persons died or five persons died. Also, they are addicted to drinking. Without taking drinks, they are not able to attend the work. They are getting a meagre income. They are appointed as municipal employees. They are appointed as Panchayat Union employees. They are

able to get only Rs.4,000 or Rs.5,000. With this salary, they are spoiling their entire life. They are not able to educate their children. It is not possible for them. Is it possible for them to purchase good dresses or good food for their poor children? It is not possible for them[m31].

Sir, in addition to providing insurance scheme, we have to think about their health also. I want to submit that the practice of cleaning the human waste by humans has to be abolished. Even the Government is taking so many steps to close this practice. But everywhere this is going on. We have to take effective steps to see that nobody is involved in this job to clean the human waste. That is the first step that we have to take and to help them. Also, with regard to their health, the males involved in this field are suffering from so many diseases. We have to direct all the Government hospitals, municipal hospitals etc. to provide free and good medicines and facilities for them. That is the first thing. Also, in the villages, as I have already told you, the ladies are also involved in cleaning. That has to be stopped. If you see, every morning, whether we wake up or not, at 5 o' clock in the morning, those ladies who are involved in this Safai profession are coming to the houses of the individuals and are cleaning the toilets and cleaning everything. That has to be stopped once for all.

Also, with respect to the education of the children, it is a pathetic situation. The question is whether those who are involved in this Safai activity are treated as SC or ST. It differs from State to State, *taluka* to *taluka* and district to district. In my District in Tamil Nadu they are called as *Kattunaickers*. The community is called *Kattunaicker*. If you go to Udumalpet, which is a part of Coimbatore district, the students born to these parents are able to get their ST certificate. If you go to Erode, he cannot get it. If you go to my district Dindigul, in the southern part of Dindigul those people who are involved in this *Safai* profession are able to get the S.T. certificate. It is so in southern part of Dindigul. In the northern part we are able to decide which community do they belong to – SC or ST or OBC or forward community. This is the situation.

If these people undertake an agitation throughout the country for a week, please imagine what will happen to the individual houses, what will happen to the bus stands and what will happen to the Government offices. This is a community that is totally spoiling themselves and they are doing the valuable service. But we are not even bothered to give them at least the community certificate. I would request the hon. Ministers in the Ministry of Social Justice and Empowerment – they are very powerful – to at least direct all the State Governments to give ST certificates to all the students born to these parents. Let them at least educate their children for higher studies. They are able to afford the purchase of the books or purchases of the dress or uniform for the children. The Government, the municipalities are able to give them only *Khaki* shirt and *Khaki* knicker which is identified as a uniform of a Safai Karmachari. Economically, socially and also health-wise the Government of India as well as the State Governments have to allocate necessary funds for their welfare. This Safai Karmahari Insurance Bill is a good Bill. I am totally supporting it. It has clearly discussed the nature of duties of these Safai Karmacharis and how insurance can be given. Not only that we should give them insurance but all the benefits must be given to them.

These are my views.

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : माननीय सभापति जी, मैं श्रीमती कृणा तीरथ के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सभी वक्ताओं ने सफाई कर्मचारियों के बारे में कहा, जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ये सफाई कर्मचारी जो काम करते हैं, भारतर्वा में मां के अलावा कोई इस काम को नहीं कर सकता। इस काम को जो निम्न स्तर का समझते हैं, इस काम को एक मां करती है या इस देश के अंदर हमारे बाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी करते हैं। मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं 1971 से नगरपालिका का मेम्बर रहा, चेयरमैन और मेयर भी रहा, इसलिए मैंने बड़ी नजदीकी से इनकी जिन्दगी को देखा है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वे दस-15-20 परसैंट पर पैसा लेते हैं और जो पैसा देते हैं, वे जिस दिन तनख्वाह बंटती है, उससे पहले वे लोग लठैतों और गोली बंदूकों के साथ खड़े रहते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, मैं इस बिल का समर्थन तो करता ही हूं, लेकिन जो प्रदेश सरकारों के अंतर्गत इंदिरा आवास बन रहे हैं एवं जो अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें विशेा दर्जा देकर, चाहे वह गांव हो, देहात, नगर या शहर हों, उनके अंदर उन्हें विशेा सुविधाएं उपलब्ध कराई VÉÉA[R32]।

सभापति महोदय, जहां तक सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि अभी चार दिन पहले ही बाल्मीकि समाज का एक बच्चा मेरे पास आया था, जो बी.बी.ए. में एडमीशन चाहता था। मैंने जैसे-तैसे कह सुन कर उसका एडमीशन करा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी मां सुबह 4 या 5 बजे उठकर, अंधेरे में शहर या गांव में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने जाती है, यह वह समय होता है जो बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है। उस समय वह घर से दूर सफाई का काम कर रही होती है। ऐसी स्थिति में सफाई कर्मचारी महिलाएं अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेज सकेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों के बच्चे चाहे किसी भी स्तर तक की पढ़ाई पढ़ना चाहें, उन्हें फीस, वर्दी, पुस्तकें, लॉजिंग और बोर्डिंग की सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि समाज में वे हमारे समकक्ष खड़े हो सकें।

सभापति महोदय, देश भर में सिर के ऊपर मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है। शहरों में तो धीरे-धीरे यह प्रथा समाप्त हो रही है, लेकिन अभी भी जहां आधुनिक शौचालय नहीं बने हैं, वहां सिर पर मैला ढोने की प्रथा चल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि सरकार मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना चाहती है, तो इन मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों के स्थाई रोजगार की क्या व्यवस्था कर रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सफाई कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देने की व्यवस्था करने अथवा रोजगार की गारंटी करने के मसले को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्रीमती कृणा तीरथ द्वारा सदन में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समाज के उत्थान और उन्नयन हेतु जितना भी काम किया जा सके वह करना चाहिए।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : सभापति जी, बहुत अहम बिल पर बोलने हेतु मुझे समय देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्य वाद देता हूं। मैं श्रीमती कृणा तीरथ को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मूल समस्या को एक बिल के रूप में सदन में प्रस्तुत किया। इस ि वभाग की माननीय मंत्री महोदया बहुत योग्य एवं अनुभवी मंत्री हैं। इसलिए मुझे आशा है कि वे इस वर्ग की समस्याओं को सुलझाने में कोई कमी नहीं रखेंगी। चूंकि मैं भी पिछड़े वर्ग से आया हूं और इस वर्ग के दर्द को देखता आया हूं, इसलिए मैं इस वर्ग के दुख को समझता हूं। इस वर्ग को समाज में सबसे नीची श्रेणी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह वर्ग सबसे बड़ा काम करता है। आप किसी शहर अथवा गांव को देख लीजिए, यदि एक दिन सफाई नहीं हो, तो स्थिति कितनी खराब हो जाती है।

महोदय, जो लोग सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी की पूरी सरकार और हम सब संसद सदस्यों को मिलकर सोचना पड़ेगा। हमें इन वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए इनकी बीमा की योजना पर गम्भीरता से विचार करते हुए, अमल करना चाहिए।

महोदय, मैं पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां सफाई और नॉन सफाई कर्मचारियों के रूप में समाज बंटा नहीं है, लेकिन वहां भी सफाई कर्मचारियों के रूप में लोग काम करते हैं। जैसे उत्तर भारत या देश के अन्य भागों में सफाई कर्मचारियों की यूनियन होती हैं, वैसी ऑर्गेनाइज्ड यूनियनें पूर्वोत्तर राज्यों में सफाई कर्मचारियों की नहीं हैं। वहां अनऑर्गेनाइज्ड सोसायटी के रूप में वे काम करते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन है कि वहां के लोगों को यदि किसी कानून के तहत इसमें शामिल किया जा सके, तो जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके।

महोदय, अन्त में, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार करें और ऐसा कानून बनाएं जिससे देश का भला हो सके।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI SUBBULAKSHMI JAGADEESAN): Sir, I thank hon. Member, Shrimati Krishna Tirath who introduced this Bill to bring forward the sufferings of Safai Karamcharis. Sir, I do agree with the views of the hon. Members, but their living conditions are not as they were before[S33].

The people who are working as scavengers in municipalities and corporations come under the category of Safai Karamcharis. We have the National Commission for Safai Karamcharis to look into their needs and grievances. Sometimes, the Commission also guides the Government to implement some welfare schemes for the Safai Karamcharis. We also have the Safai Karamcharis Finance and Development Corporationto give financial assistance for them to switch over from their cleaning work. We are also implementing pre-matric scholarship for the children of Safai Karamcharis.

Safai Karamcharis, being an approved vocation, is already covered under the *Janshree Bima Yojana,* which is a social security group insurance scheme of the LIC. It has been reported by LIC that 44,331 Safai Karamchariswere covered under this scheme during 2004-2005.

A number of hon. Members were also mentioning about the unorganised sector of Karamcharis. The insurance needs of this particular group of workers, who are engaged in the unorganised sector, can also be considered for coverage under the group insurance scheme offered by the public sector insurance companies.

Apart from this, there is one scheme called the National Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers. This scheme comes under the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, and we are doing the rehabilitation work in it with the help of the Safai Karamcharis Development Corporation.

Nowadays, they are following new mechanisms to clean the trenches, drainages and latrines. We have already covered the Safai Karamcharisunder the *Janshree Bima Yojana*, and we have also covered the unorganised sector under the group insurance scheme.

All the details and suggestions given by the hon. Members will be definitely looked into. Therefore, I would request the hon. Member, Shrimati Krishna Tirath, to withdraw the Bill.

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, जीवन श्री योजना तो कई और चीजों के लिए भी है। क्या केवल 45 हजार ही सफाई कर्मचारी हैं? जबकि नगर-निगम, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर सरकारी और अनओर्गेनाइज्ड सैक्टर में लाखों की संख्या में सफाई कर्मचारी काम करते हैं। इन सबके लिए अलग से कोई व्यापक बिल लाना चाहिए।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, उन्हें इस बारे में सदन को थोड़ा आश्वासन देना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, इस बिल का महत्व इस से समझ में आता है कि हमारी कैबिनेट मिनिस्टर भी सदन में बैठी हुई हैं। इसका जवाब इनकी तरफ से आना चाहिए। यहीं से इसका महत्व कम होता है। यदि मीरा कुमार जी न होतीं और फिर राज्य मंत्री जवाब देतीं तो कोई बात नहीं थी। यदि कैबिनट मंत्री जी की तरफ से जवाब आता तो सही होता।

SHRIMATI SUBBULAKSHMI JAGADEESAN : The Safai Karamcharisare also covered under all the welfare schemes meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्रीमती कृणा तीरथ : महोदय, यह बात बहुत अच्छी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की बहस में हिस्सा लिया। मैं मानती हूं कि सरकार कहेगी कि इसमें फाइनेन्स इन्वाल्व है। मैंने कहा भी था कि फाइनेन्स के लिए चार सौ करोड़ रूपये रिकरिंग में रखा जाना चाहिए ।नॉन रिकरिंग में 100 करोड़ रुपया रखा जाना चाहिए। हमारे लिए बहुत सारे बंधन होते हैं कि हम इस प्रकार के बिल लाने के बाद विथड्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फाइनेंस इन्वोल्ड है, बहुत सारे सुझाव मांगने हैं। अभी इतने सारे सुझाव पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से आये हैं। जो अभी मंत्री जी ने बताया कि नई तकनीकें आई हैं, मैं उसे नहीं मानती हूं। दिल्ली जैसी जगह में भी सर्वे की रिपोर्ट में है कि दिल्ली के आसपास दिल्ली के भीतर ही जो गांव हैं, वहां आज भी स्क्वेंजर्स काम करते हैं, मैला सिर पर ढोते हैं और वहां कहीं सीवर लाइन नहीं हैं। नई तकनीक जब दिल्ली जैसी जगह पर, जो भारत क्षेत्र की राजधानी है, यहां नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि दूसरे राज्यों में जो विलेजेज़ हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां इस तरह की तकनीक आयेगी, क्योंकि मैंने इस तरह का सर्वे कराया है और सर्वे रिपोर्ट को अच्छी तरह से देखा है।

यह बात ठीक है, आर्गेनाइज्ड सैक्टर में इनकी बहुत सारी बीमा योजनाएं हैं, अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में ये उन्हें जोड़ेंगी, यह बात अभी मंत्री जी ने कही कि अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में हम इनका बीमा करायेंगे। मेरा मतलब था कि इन व्यक्तियों का, जो सफाई कर्मचारी हैं, बीमा योजना के तहत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर इसमें काम करना चाहिए और जो इस काम में रत व्यक्ति हैं, उन लोगों को बीमे के अधीन लाना चाहिए, उनका कम्पलसरी बीमा करना चाहिए। उसका पैसा सरकार दे, जिससे हमारा यह तबका, जिसके बारे में गोयल जी ने बताया कि हम सफाई कर्मचारी को मां का रूप देते हैं। यह बात ठीक भी है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी देखभाल केवल मां करती है, वह टट्टी करें या पेशाब करें, केवल मां ही उसे साफ करती है। उसकी बुआ हो या उसकी और कोई साथी हो, वह तुरन्त मां को बुलाती है कि इसकी मां को बुलाओ। जो ममत्व के द्वारा केवल एक मां काम करती है, जितना ममत्व उसके अन्दर भरा होता है, ऐसा ममत्व, ऐसी मां की प्रेम भक्ति, ऐसी मां की इच्छाशक्ति हम इन सफाई कर्मचारियों में देखते हैं। हमें किस तरह की इनको सुविधाएं देनी हैं, बीमे के तहत इनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से और इनके शारीरिक हैल्थ पाइण्ट ऑफ व्यू से जो इनकी मदद करना चाहते हैं, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सदन ने जो इसमें पूरा सहयोग किया है, एक तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं, दूसरे केन्द्र सरकार ने जो बात कही है कि इसको हम मानेंगे, इनको मानना भी चाहिए। इसी के दृटिगत मैं यहां अपने इस प्रस्ताव को विथड्रा करती हूं।

I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for comprehensive and compulsory insurance of Safai Karamcharis against any mishap connected with their work to give them economic protection, safeguard their interests and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to withdraw the Bill to provide for comprehensive and compulsory insurance of Safai Karamcharis against any mishap connected with their work to give them economic protection, safeguard their interests and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI KRISHNA TIRATH : Sir, I withdraw the Bill.